निगरानी 12/11–I–15

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. मोती महल ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 निगरानी

जयनारायण पुत्र श्री मथुरा लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम जानपुरा तहसील व जिला श्योपुर म.प्र. ......निगरानीकर्ता

श्री ... द्वारा आज दि. 22.5.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 22.5.15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. म.प्र शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर म.प्र.
2. श्रीमान आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना

...........प्रत्यार्थीगण

<u>निगरानी याचिका अन्तर्गत, धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.08.2012 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त महोदय चम्बल संभाग अन्तर्गत प्र.क. 74/11–12 निगरानी से उदभुत।</u>

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से याचिका निम्नाकिंत आधारो पर प्रस्तुत है–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य–

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता कुलवंत पुत्र प्रीतम सिंह जाट सिक्ख आदि निवासी ग्राम माधौराजपुरा तहसील एवं जिला श्योपुर द्वारा शिकायती आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम जानपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 7क, 7मिन रकबा 161 बीघा 5 बिस्वा शासकीय भूमि की जॉच कराये जाने बाबत निवेदन किया गया उक्त शिकायती आवेदन की जॉच कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा डिप्टी कलेक्टर श्योपुर से कराई गई जॉच प्रतिवेदन में निगरानीकर्ता जयनारायण पुत्र मथुरा लाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम जानपुरा तहसील व जिला श्योपुर एवं अन्य 7 के नाम ग्प्रम जानपुरा स्थित भूमियों का इन्द्राज़ मौजा पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खसरा संवत 2055–2059 में फर्जी प्रविष्टियॉ की जाना प्रमाणित पाये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण कमांक 9/2003–2004/निगरानी पर दर्ज कर प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 14.09.2004 के द्वारा निगरानी कर्ता जयनारायण एवं अन्य 7 के पक्ष मौजा पटवारी द्वारा की गई फर्जी प्रविष्टियों को विलोपित कर वादित भूमि पूर्ववत शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1211/एक/2015 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-8-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा न्यायालय आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 74/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.08.2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि शिकायकर्ता कुलवंत पुत्र प्रीतम सिंह जाट सिख निवासी ग्राम माधौराज पुरा तहसील व जिला श्योपुर द्वारा शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जानपुरा में स्थित सर्वे क्रमांक 7क, 7 मिन रकवा 161 बीघा 5 विस्वा शासकीय भूमि की जॉच कराये जाने बावत् प्रस्तुत किया था। शिकायती आवेदन पत्र की जॉच कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा डिप्टी कलेक्टर श्योपुर से करायी गयी। जॉच प्रतिवेदन में आवेदक जयनारायण पुत्र मथुरालाल कुम्हार निवासी ग्राम जानपुरा तहसील व जिला श्योपुर एवं अन्य सात के नाम ग्राम जानपुरा स्थित भूमियों का इन्द्राज मौजा पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खसरा नं. 2055–2059 में फर्जी प्रविष्टयॉ की जाना प्रमाणित पाये जाने पर कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक	

9/03-04 निगरानी पर दर्ज कर प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 14.09.2004 द्वारा निगरानी कर्ता जयनारायण एवं साथ के पक्ष में मौजा पटवारी द्वारा की गयी फर्जी प्रविष्टियों को विलोपित कर वादित भूमि पूर्ववत् शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी जो अवधि बाह्य मानकर पारित आदेश दिनांक 28.08.2012 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदक अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। कलेक्टर जिला श्योपुर का आदेश विधिवत् एवं सही नहीं होने से अधिकारिता रहित आदेश है अतः ऐसे अधिकारिता रहित आदेश से परिसीमा का प्रश्न उत्पन्न नही होता ऐसी स्थिति में अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा आवेदक के पुनरीक्षण को अवधि बाह्य मानकर जो आदेश पारित किया है वह आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में निगरानी

स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– म.प्र. शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार लिया है। कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह परिसीमा के बिन्दु पर स्पष्ट आदेश है ऐसी स्थिति में जो आदेश पारित किया गया है वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6– उभय पक्ष के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को एवं आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकरण में शिकायत कर्ता के आवेदन पत्र से प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। और संबंधित भूमि स्वामी/आवेदक को सुनवाई का विधिवत् अवसर नहीं दिया गया है। जबकि आवेदक वर्तमान प्रकरण में आवश्यक एवं हितवद्ध पक्षकार है क्योंकि आवेदक की भूमि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के प्रभावित हुयी है। ऐसी स्थिति में आवेदक का वर्तमान प्रकरण में सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिये था। तत्पश्चात् आदेश पारित होना था। चूकि आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया है अतः ऐसा आदेश नेसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इस संबंध में 2007 (2) एस.सी.सी 181, 2008 (14) एस.सी.सी. 151 तथा ए.आई.आर 1991 एस.सी 1216, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 136, 2010 आर.एन. 101 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का

लागू होना सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कानूनी उपबंध है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जहॉ तक आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश का प्रश्न है तो उन्होने निगरानी को अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया है। जबकि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पत्र में पर्याप्त कारण दिये गये थे। 2000 आर.एन.220 में उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विलंब समाधानप्रद् रूप से स्पष्टीकृत आवेदक की ओर से जानबूझकर कर असावधानी नहीं विलंब माफ किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायदृष्टांत के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/03-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14.09.2004 एवं आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 74/2011-12 निगरानी पारित आदेश दिनांक 28.08.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं आवेदक का नाम पूर्ववत् राजस्व अभिलेखों अंकित किये जाने के निर्देश तहसीलदार श्योपुर को दिये जाते है। इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य